11-08-2026 राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आरक्षी केन्द्र थाना सिटी कोतवाली, जिला खडवा से आरक्षक महेन्द्र भाग्यवार ने उपस्थित होकर अपराध कमांक–534/2025 अंतर्गत धारा– 303(2) बी.एन.एस. का खात्मा प्रतिवेदन/केस डायरी पेश की।

खात्मा प्रतिवेदन विविध न्यायिक पंजी में एम.जे.सी. आर. कमांक 1271/2026 पर दर्ज किया गया।

फरियादी **रश्मिबाला पिता अजय कलोसिया उपस्थित**, उक्त साक्षी के कथन अंकित किये गये। उक्त साक्षी ने अपनी पहचान के संबंध में स्वयं का आधार कार्ड प्रस्तुत किया, जिसकी फोटोप्रति प्रकरण में संलग्न की गयी।

खात्मा पर विचार किया गया।

खात्मा प्रतिवेदन/केस डायरी का अवलोकन किया गया।

पुलिस थाना सिटी कोतवाली खंडवा के अपराध क्रमांक 534/2025 अंतर्गत धारा–303(2) बी.एन.एस. के अपराध की कायमी अज्ञात आरोपी के विरूद्ध की गई है। उपरोक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि होमगार्ड ऑफिस सांची दूध केन्द्र के पास रहती है। दिनांक 03.09.2025 को दोपहर में एक अज्ञात महिला उसके घर आयी थी और उसने उक्त साक्षी को बातो में उलझाकर घर के अंदर से आलमारी में रखा सोने का मंगलसुत्र, एक जोड कंगन तथा चांदी का कंगन जोड, सोने की नथनी, चांदी की अंगुठी, चादी का कमरबंद व गुच्छा तथा नगदी 10 हजार रूपये वह अज्ञात महिला घर के अंदर से चुराकर ले गयी थी, जिस बात की शिकायत मेरे द्वारा थाना कोतवाली में अज्ञात महिला आरोपी के विरूद्ध दर्ज करवायी थी। उक्त महिला का फोटो तथा रिकार्डिंग उसने थाने पर तथा अनुसंधान अधिकारी को उपलब्ध करायी गयी थी, उसके बाद भी पुलिस द्वारा प्रकरण में संतोषजनक जांच नहीं की गयी है। उक्त साक्षी एक गरीब मध्यमवर्गीय महिला है तथा सोने के आभूषण मेरी जीवन भर की पूंजी होकर उसकी नितांत आवश्यक संपत्ति है, जिनके अभाव में उसे पारिवारिक जीवन में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड रहा है। अतः अपराध में पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तथा खात्मा प्रस्तुत करने पर उसे आपत्ति है। मुझे अपराध में पुनः जांच कर उसके चोरी गयी राशि व आभूषण प्रदाय करने का निवेदन किया है। पत्रावली विधिवत पुलिस अधीक्षक से खात्मा प्रतिवेदन अनुमोदित नहीं करवाया गया है। अतः खात्मा प्रतिवेदन इस निर्देश के साथ **अस्वीकार** किया जाता है कि मामले के अभियुक्त या संपत्ति के संबंध में विधिवत अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस अधीक्षक खण्डवा से अनुमोदित कर खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।

केस डायरी संबंधित को लौटाई जाए।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर विधिक समयावधि में अभिलेखागार भेजा जाए।

THAKUR PRASAD MALVIYA

Digitally signed by THAKUR PRASAD MALVIYA
Date: 2026.08.11 18:20:29 +0530

(ठाकुर प्रसाद मालवीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा